


FORM NO-IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)11/2020/00007
02/2020अज अदालत- अपीलिय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
प्रेमसिंह बनाम लोक सूचना अधि० एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
किरम मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 02 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

10/2/2020

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो एवं अपीलान्ट द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30.1.2020 के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन बाबत वांछित सूचना पत्र दिनांक 30.12.2019 से प्रेषित किया जाने का उल्लेख करते हुए टिप्पणी प्रेषित की है। जबकि अपीलान्ट द्वारा इसका प्रत्युत्तर प्रेषित कर वांछित सूचना भिजवाने के कथन को गुमराह करने वाला बताया है। लिहाजा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट/प्रार्थी के मूल आवेदन का पुनः अवलोकन कर उपलब्ध देय सूचना/प्रत्युत्तर/15 दिवस की अवधि में प्रार्थी/अपीलान्ट को निशुल्क उपलब्ध करावें। अपील अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।


(विश्व मोहन शमी)
जिला कलक्टर, अजमेर